MT-19

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : अंधरामठ

निरीक्षण की तिथि : 09–06–2003

डा० बी० राजेन्दर

भा०प्र०से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०पु०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 09-06-2003 को अंधरामठ थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

अंधरामठ थाना सुपौला-लौकही-कुनौली पथ पर जिला मुख्यालय से 85 कि०मी० की दूरी पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है । यह थाना 17-3-1974 से ओ०पी० के रूप में कार्यरत है, जिसे वर्ष 1990 में लौकही थाना के सहायक थाना के रूप में अधिसूचित किया गया है । इस सहायक थाना की स्थापना से संबंधित अधिसूचना की प्रति थाना में उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय अथवा आरक्षी उप महानिरीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर संधारित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । इस थाना परिसर में भगवान शिव की काला ग्रेनाईट पत्थर से बना प्राचीनतम मूर्ति है जिसकी वर्तमान कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 08 करोड़ बताई जाती है । बताया गया कि इसी मूर्ति की सुरक्षा हेतु वर्ष 1974 में सशस्त्र गार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जो कालान्तर में सहायक थाना के रूप में परिणत हुआ । इस थाना के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सुपौल जिला, पूरब में कुनौली एवं पश्चिम में लौकही थाना अवस्थित है । इस थाना के 06 कि०मी० की दूरी पर उत्तर भाग में नेपाल देश की सीमा अवस्थित है । अंधरामठ थानान्तर्गत कुल 08 पंचायत एवं 40 गाँव अवस्थित है । आवागमन की सुविधा हेतु सड़क मार्ग उपलब्ध है परन्तु सड़क मार्ग के जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है । इस थाना क्षेत्र की प्राथमिकी लौकही थाना में दर्ज की जाती है । यहाँ से लगभग 10 कि०मी० की दूरी पर नेपाल स्थित शखरा भगवती का भव्य मंदिर अवस्थित है, जिसे दर्शन करने हेतु प्रतिवर्ष भारत से लाखों श्रद्धालु जाते हैं ।

2- भवन :-

इस थाना का अपना भवन नहीं है । वर्तमान में यह थाना बिहार सरकार के कोशी प्रोजेक्ट के टिन से छाया मकान में (खाली पड़े) अवस्थित है । इस थाना में महिला/पुरुष हाजत नहीं है, आरक्षी बैरक नहीं है और नहीं आरक्षियों/थाना प्रभारी के लिए आवासीय क्वार्टर ही उपलब्ध है । आरक्षीगण फुस से निर्मित झोपड़ी में रहते हैं तथा थाना प्रभारी फुश के बने तीन कोठरी के मकान में रहते हैं । थाना में मालखाना भी उपलब्ध नहीं है । अतः थाना भवन, मालखाना, बैरक,

लगातार...2/-

गार्ड रूम एवं आरक्षियों के आवासीय भवन निर्माण हेतु निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन, पटना से पत्राचार किया जाय । वर्तमान में थाना भवन की मरम्मति की गई है एवं जी0आई0शीट का छत दिया गया है । चूँकि यह थाना अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, अस्तु सुरक्षा की दृष्टिकोण से चहारदिवारी की भी आवश्यकता है ।

3- प्रभार :-

अ0 नि0 ज्ञानेश्वर सिंह दिनांक 08-04-2003 से थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं । इसके पूर्व अ0 नि0 त्रिपुरारी सिंह थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे । उपलब्ध सूचना के आधार पर इस थाना में पदस्थापित पूर्व थाना प्रभारियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पद	नाम	कब से पदस्थापित	कबतक पदस्थापित
1-	अवर निरीक्षक	भगवन्त सिंह	15-08-1993	16-11-1995
2-	अवर निरीक्षक	बी0 जी0 यादव	17-11-1998	27-10-2000
3-	अवर निरीक्षक	इन्तखाब अहमद	28-10-2000	29-06-2001
4-	अवर निरीक्षक	मनोज सिंह	30-06-2001	04-02-2002
5-	अवर निरीक्षक	त्रिपुरारी सिंह	05-02-2002	07-04-2003
6-	अवर निरीक्षक	ज्ञानेश्वर सिंह	08-04-2003	अद्यतन

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1993 से पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है जबकि यह थाना वर्ष 1990 से ही सहायक थाना के रूप में कार्यरत है । वर्ष 1995 से 1998 तक पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची नहीं दी गई है और न ही प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की नामपट्ट दीवाल पर टाँगा गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेखों की जाँचकर/आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से सूचना प्राप्तकर प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची संधारित करें एवं नामपट्ट लिखवाकर (सुन्दर अक्षरों में) दीवाल

लगातार...3/-

पर टाँगते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

4- स्थापना :-

अंधरामठ थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1-	अवर निरीक्षक	2	1	1
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	1	1
3-	हवलदार	2	-	2
4-	साधर आरक्षी	1	1	-
5-	आरक्षी	7	2	5
	कुल :-	14	5	9

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर निरीक्षक का एक, सहायक अवर निरीक्षक का एक, हवलदार के दो, एवं आरक्षी के पाँच कुल 9 पद रिक्त हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि रिक्त स्थानों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।

क्रमांक	पदनाम	नाम	योगदान की तिथि	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	ज्ञानेश्वर सिंह	08-04-2003	ग्राम उफरौलिया, जिला मुजफ्फरपुर
2-	स0 अ0 नि0	ललन पाण्डेय	04-02-2001	ग्राम मनखनपुर, थाना मोहनियाँ, जि0 कैमूर
3-	सा0 आरक्षी 428	विनोद बिहारी सिन्हा	02-07-2002	ग्राम-पो0 पुरन्दपुर, जिला सीवान
4-	आरक्षी 48	रामानन्द पाण्डेय	09-08-2002	ग्राम सिरल्ली, थाना कमतौल, जिला दरभंगा
5-	आरक्षी 601	बद्रुद्दीन खाँ	24-09-2002	जिला बेतिया

लगातार...4/-

5- पूर्व निरीक्षण :-

अंधरामठ थाना का पूर्व में निम्नांकित पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारियों का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री आर० आर० प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	28-02-1976	21-07-1976	-
2-	श्री एन० पी० सहाय	आरक्षी अधीक्षक	21-02-1978	20-08-1978	
3-	श्री नसीम अहमद	आरक्षी अधीक्षक	17-03-1980	-	
4-	श्री एन० सी० ढोंढियाल	आरक्षी अधीक्षक	18-05-1986	23-06-1986	
5-	श्री अजीत दत्त	आरक्षी अधीक्षक	28-05-1988	30-05-1988	
6-	श्री नील मणि	आरक्षी अधीक्षक	10-12-1989	16-01-1990	
7-	श्री सहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक	22-01-1998	25-01-1998	
8-	श्री सुधांशु भूषण राम	अनु०पदा०, फुलपरास	30-10-2002	07-11-2002	
9-	श्री -	अनु०आ०पदा०, झं०	18-10-1976	18-10-1976	
10-	श्री रणवीर सिन्हा	अनु०आ०पदा०, झं०	23-01-1979	23-01-1979	
11-	श्री उदय शंकर दत्त	स०आ०अ०, झंझारपुर	28-10-1979	07-11-1979	
12-	श्री भवेश ठाकुर	अनु०आ०पदा०, झं०	09-01-1984	11-01-1984	
13-	श्री एस० एम० काजमी	अनु०आ०पदा०, झं०	26-03-1985	01-04-1985	
14-	श्री जी०पी० भारती	अनु०आ०पदा०, झं०	07-12-1989	31-12-1989	
15-	श्री मनमोहन सिंह	स०आ०अ०, झंझारपुर	13-03-1991	14-03-1991	
16-	श्री बी० के० चौधरी	अनु०आ०पदा०, फुल०	15-09-1993	29-09-1993	
17-	श्री देवेन्द्र ठाकुर	अनु०आ०पदा०, फुल०	23-11-1995	28-11-1995	
18-	श्री देवेन्द्र ठाकुर	अनु०आ०पदा०, फुल०	21-12-1996	22-12-1996	
19-	श्री विपिन बिहारी मिश्र	अनु०आ०पदा०, फुल०	27-12-1997	04-01-1998	
20-	श्री विपिन बिहारी मिश्र	अनु०आ०पदा०, फुल०	10-12-1998	10-12-1998	
21-	श्री हरेन्द्र कुमार	अनु०आ०पदा०, फुल०	10-02-2001	11-06-2001	

लगातार...5/-

22-	श्री आर० एन० गुप्ता	आ० नि०, फुलपरास 27-05-1976	27-05-1976
23-	श्री बी० एम० प्रसाद	आ० नि०, फुलपरास 14-02-1978	14-02-1978
24-	श्री एन० एम० खाँ	आ० नि०, फुलपरास 02-06-1981	02-06-1981
25-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०, फुलपरास 29-08-1983	29-08-1983
26-	श्री के० बी० तिवारी	आ० नि०, फुलपरास 08-12-1985	18-12-1985
27-	श्री भवेश तिवारी	आ० नि०, फुलपरास 21-05-1988	21-05-1988
28-	श्री एम०एम०अखौरी	आ० नि०, फुलपरास 26-12-1988	26-12-1988
29-	श्री अखौरी नारायण प्रसाद	आ० नि०, फुलपरास 31-03-1990	31-03-1990
30-	श्री अखौरी नारायण प्रसाद	आ० नि०, फुलपरास 28-05-1990	28-05-1990
31-	श्री बी० कुमार	आ० नि०, फुलपरास 27-02-1992	27-02-1992
32-	श्री नरेन्द्र कुमार	आ० नि०, फुलपरास 09-02-1993	09-02-1993
33-	श्री सीताराम	आ० नि०, फुलपरास 10-01-1995	10-05-1995
34-	श्री सीताराम	आ० नि०, फुलपरास 25-02-1996	25-02-1996
35-	श्री उमाकान्त बैठा	आ० नि०, फुलपरास 29-03-1998	29-03-1998
36-	श्री सत्य नारायण पासवान	आ० नि०, फुलपरास 28-01-2002	28-01-2002

निरीक्षण टिप्पणियों से संबंधित पंजी का अवलोकन किया । इसे सही ढंग से संधारित नहीं किया गया है । पंजी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । जिला पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण का कार्यक्रम प्राप्त होने के बाद भी इसे बाईन्डिंग नहीं कराया गया है, जो थाना प्रभारी के अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसे एक सप्ताह के अन्दर बाईन्डिंग कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे । निरीक्षण टिप्पणी के अनुपालन की तिथि स्पष्ट नहीं है एवं अनुपालन की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है । कई निरीक्षण टिप्पणियों का अनुपालन प्रतिवेदन अस्पष्ट एवं अत्यधिक विलम्ब से भेजा गया है । अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास द्वारा दिनांक 30-10-2002 को किये गये निरीक्षण की टिप्पणी 7-11-2002 को प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभीतक इसका अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त नहीं भेजा गया है, जो चिन्ता का विषय है । सामान्यतः निरीक्षण टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । यदि उक्त अवधि में पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन संभव नहीं हो तो कम-से-कम अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन अवश्यक भेज दिया जाना

लगातार... 6/-

चाहिए । अगर निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन समय-सीमा के अन्दर भेज दिया जाता है तो कार्य में गुणात्मक सुधार आने की संभावना रहती हैअन्यथा वरीय पदाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की कोई सार्थकता नहीं रह जाती है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रारम्भ से लेकर अबतक प्राप्त सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययन कर छूटे हुए कंडिका का पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपालन प्रतिवेदन भेजते हुए एक माह के अन्दर प्रतिवेदित करेंगे कि कित पत्रांक/दिनांक से अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म संख्या 15 में थाना दैनिकी संधारित है । थाना में उपलब्ध दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रमांकित मौलूम विहित प्रपत्र में संधारित है । यह दो प्रतियों में होती है । कार्बन प्रति आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास को प्रतिदिन भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाएँ अंकित की जाती हैं । यह कार्य प्रतिदिन 08-00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होकर 24 घंटे के चक्र में अगले दिन 08-00 बजे पूर्वाह्न तक चलता रहता है । थाना दैनिकी नियमित रूप से लिखा जा रहा है ।

निरीक्षण के दौरान थाना दैनिकी बुक संख्या 1456 के क्रमांक 145600 से 145800 तक का अवलोकन किया । सन्हा संख्या 222 दिनांक 7-6-2003 में उल्लेख किया गया है कि "मैं थाना प्रभारी अ0 नि0 ज्ञानेश्वर सिंह साथ स0अ0नि0 एल0 पाण्डेय आर्म बल जीप के बिन्दा देवी के काण्ड के अनुसंधान से थाना आये वो अपने साथ सनुखा कुमारी पुत्री भोला सिंह, ग्राम थलही थाना अंधरामठ जिला मधुबनी का फर्दबयान लिया । सनुखा कुमारी के फर्दबयान से काण्ड धारा 376 भा0द0वि0 का बनता है । अतः काण्ड कायम किया । इसका अनुसंधान घटना-स्थल पर ही ग्रहण कर चुका हूँ । सनुखा कुमारी के फर्दबयान को औपचारिक प्राथमिकी अंकित करने हेतु थाना प्रभारी, लौकही के पास अग्रसारित किया जा रहा है ।"

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 118 के तहत फार्म सं0 16 में फिरारी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है ।

लगातार...7/-

फिरारी पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि भाग संख्या-I में महदेव यादव पे0 सुन्दर यादव ग्राम दुधैला थाना अंधरामठ जिला मधुबनी, फुलपरास थाना कांड संख्या 02/52, दिनांक 6-8-1952 धारा 302/34 भा0द0वि0 के अभियुक्त हैं, फरार हैं। इनको गिरफ्तार करने हेतु अंतिमबार दिनांक 6-6-2003 को थाना प्रभारी द्वारा छापामारी की गई है। ये वर्तमान में नेपाल में रहते हैं। दूसरे फरारी बिधानाथ यादव पे0 सुरत यादव, ग्राम लखनियाँ, थाना अंधरामठ, जिला मधुबनी हैं। ये अंधरामठ थाना कांड सं0 25/90, दिनांक 09-03-1990 धारा 302 भा0द0वि0 के अभियुक्त हैं एवं फरार हैं। इन्हें गिरफ्तार करने हेतु दिनांक 6-6-2003 को अंतिबार थाना प्रभारी द्वारा छापामारी की गई है। सम्प्रति ये नेपाल में रहते हैं। तीसरे फिरारी बद्री यादव पे0 मुनी लाल यादव, ग्राम रउआही, थाना अंधरामठ, जिला मधुबनी हैं। ये अंधरामठ थाना कांड सं0 46/89, दिनांक 5-6-89 धारा 302 के अभियुक्त हैं, फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु अंतिम बार दिनांक 30-5-03 को थाना प्रभारी द्वारा छापामारी की गई है। वर्तमान में ये नेपाल में रहते हैं। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 1990 के बाद एo रौल आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को नहीं भेजा गया है, जबकि पूछताछ के दौरान बताया गया कि कई अपराधियों के विरूद्ध कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वैसे अपराधियों को फिरारी सूची में नाम दर्ज करने हेतु एo रौल आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को एक माह के अन्दर भेजते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें एवं फिरार अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु सघन रूप से औचक छापामारी करें एवं गुप्तचर के माध्यम से उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

8- रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म सं0 50 में यह पंजी संधारित करना है किन्तु इस थाना में यह पंजी संधारित नहीं है बल्कि प्राप्त वारंटों को लूज सीट में रखा गया है, जो चिन्ता का विषय है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण इसे लूज सीट में रखा गया है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र प्राप्त करते हुए पंजी संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन दें। इस थाना में दिनांक 31-5-2003 तक कुल 22 वारन्ट तथा 10 जप्ती-कुर्की प्राप्त हुए हैं जिनमें से 12 वारंट एवं 1 जप्ती-कुर्की का निष्पादन हुआ है एवं शेष 10 वारंट एवं 9 जप्ती-कुर्की निष्पादन हेतु लंबित हैं। निर्देश के बावजूद पदाधिकारीवार

लगातार...8/-

लंबित वारंट/जप्ती-कुर्की की विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर लंबित वारंट/जप्ती-कुर्की का निष्पादन सुनिश्चित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

9- गिरफ्तार व्यक्तियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म सं0 31 ए. में इस पंजी को संधारित करना है किन्तु इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर एक सादे पंजी में संधारित किया गया है । पंजी थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है । गिरफ्तार अपराधियों की पंजी एवं हाजत पंजी अलग-अलग होनी चाहिए जबकि ऐसा नहीं कर एक ही पंजी में दोनों सूचनाओं को दर्ज किया जा रहा है । ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि थाना प्रभारी को अनुभव की कमी है । अतः उन्हें निर्देश दिया जाता है कि निकटवर्ती थाना से सम्पर्ककर/विहित प्रपत्र प्राप्त कर अलग-अलग पंजी संधारित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । थाना में उपलब्ध पंजी के अनुसार वर्ष 2001 में 108, वर्ष 2002 में 64 एवं वर्ष 2003 में अबतक कुल 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । स्पष्ट है कि थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में विशेष अभिरूचि लेकर सघन अभियान चलाकर अधिक-से-अधिक संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार करें ताकि उनका मनोबल गिरे में विधि-व्यवस्था के संधारण में सहुलियत हो सके ।

10- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म संख्या 25 में यह पंजी संधारित है । इस पंजी के अवलोकन से पाया गया कि इसे वर्ष 1991 तक ही सत्यापित कराया गया है जबकि बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के तहत वर्ष में एकबार इस पंजी का मिलान करवाना है, जो नहीं किया गया है । स्पष्टः पूर्व के थाना प्रभारियों एवं वर्तमान थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस संबंध में दोषी थाना प्रभारियों से स्पष्टीकरण प्राप्तकर उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना चाहेंगे । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अविलम्ब इस पंजी का मिलान अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर के यहाँ संधारित शस्त्र पंजी अथवा जिला सामान्य प्रशाखा, मधुबनी में संधारित केन्द्रीय पंजी से करवाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिवर्ष इस पंजी का मिलान निश्चित रूप से करावें ।

लगातार...9/-

शस्त्रवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

(क) दोनाली बन्दूक की संख्या	-	39
(ख) एकनाली बन्दूक की संख्या	-	02
(ग) रायफल की संख्या	-	xx
(घ) पिस्टल की संख्या	-	xx
(ङ) रिवॉल्वर की संख्या	-	xx
कुल :-		41

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम-II के नियम 239 ए. फार्म संख्या 43 ए. में यह पंजी संधारित करना है परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र में हाजत पंजी संधारित नहीं कर गिरफ्तार अपराधियों की पंजी में ही संधारित किया जा रहा है, जो उचित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि चूँकि दोनों पंजी दो तरह की होती हैं, जिसमें अलग-अलग सूचनाएँ रहती हैं, अतएव विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर अलग-अलग पंजी संधारित कर उसे अद्यतन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

12- तहती नं0 01 :-

सरकारी सम्पत्ति की सूची से संबंधित तहती नं0-01 का अवलोकन किया । इसे सही ढंग से संधारित किया जा रहा है । थाना में उपलब्ध सामग्रियों की प्रविष्टि की गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रचारी प्रवर से सम्पर्क कर सरकारी सम्पत्ति की अद्यतन सूची प्राप्तकर सरकारी सम्पत्ति के साथ-साथ अन्य सरकारी सम्पत्ति एवं लाबारिस सम्पत्ति को भी दर्ज करें ताकि पूर्ण जानकारी हो सके एवं सरकारी सम्पत्ति को छुपने या इसकी क्षति पहुँचाने से रोका जा सके । थाना प्रभारी इसे सुनिश्चित कर एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...10

13- तख्ती नं0 -02 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम/पता इस तख्ती में अंकित किया जाता है। तख्ती अद्यतन है।

14- तख्ती नं0- 03 :-

विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त कारखाने, भंडार, दूकानों की सूची इस तख्ती में रहती है । किन्तु इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

15- तख्ती नं0 - 04 :-

इस तख्ती में गोला, बारूद, आयुध के संबंध में सूचना अंकित रहती है परन्तु इस थाना में यह मामला शून्य है।

16- तख्ती नं0 - 05 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रहती है। प्रतिवेदन शून्य है।

17- तख्ती नं0- 06 :-

इस तख्ती में उत्पाद अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त देशी/विदेशी शराब एवं अफीम के दूकानों की सूची रहती है। इस थाना में अनुज्ञप्ति संख्या 66 ए.-30/2003-2004 श्री पवन बन्डगार, ग्राम धनौजा, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी के नाम से निर्गत है।

18- तख्ती नं0- 07 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है।

19- तख्ती नं0- 08 :-

इस तख्ती में हुआ गेमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है परन्तु इस थाना क्षेत्र में यह मामला नहीं है।

लगातार...11/-

20- तख्ती नं0- 09 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, बाजार की सूचना अंकित की जाती है । इस थानान्तर्गत लगनेवाले हाट, बाजार की तिथिवार सूचना निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	दिन	स्थान (हाट)
1-	रविवार	नरेन्द्रपुर, बगेवा, अंधरामठ एवं मटही
2-	सोमवार	महादेवमठ, अमचिरी, कुशमाही एवं भरफोड़ी
3-	मंगलवार	नेऊर, डकही एवं बरूआर
4-	बुधवार	अंधरामठ एवं बगेवा
5-	बृहस्पतिवार	भरफोड़ी, नरेन्द्रपुर, अमचिरी एवं मटही
6-	शुक्रवार	महादेवमठ एवं कुशमाही
7-	शनिवार	डकही, बरूआर एवं नेऊर

21- तख्ती नं0- 10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के सांसद/विधायक/पार्षद/जिला परिषद के सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति के सदस्यों की सूची संधारित की जाती है । सूची अद्यतन है ।

22- तख्ती नं0- 11 :-

यह तख्ती नियम 152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जाती है, जो अद्यतन है ।

23- तख्ती नं0- 12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार कुल दागी व्यक्तियों की संख्या 18 है जिसमें 9 मासिक, 3 त्रैमासिक, 2 अर्द्धवार्षिक एवं 4 वार्षिक श्रेणी के हैं । विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

लगातार...12/-

क्रमांक	श्रेणी	दागी संख्या	दागी का नाम / पिता का नाम	ग्राम एवं सर्किल का नंo
1-	मासिक	ए/227	सुदेशी सदाय पेo आनन्दी सदाय	ग्राम अकुली थाना अंधरामठ
2-		ए/229	राम सागर यादव पेo नथु यादव	ग्राम छातापुर थाना अंधरामठ
3-		ए/232	जंगली भर पेo बासुदेव भर	ग्राम रजौड़ा महथौड़ा, अंधरामठ
4-		ए/231	बौका भर पेo बासदेव भर6	ग्राम रजौड़ा महथौड़ा, अंधरामठ
5-		ए/233	बुटाई मंडल पेo ठिठर मंडल	ग्राम नाजूबन्द, अंधरामठ
6-		ए/235	बिन्देश्वर खतवे पेo अच्छे लाल खतवे	ग्राम महथौड़ गोठ थाना अंधरामठ
7-		ए/230	रामा भर पेo बासदेव भर	ग्राम रजौड़ा महथौड़ा, अंधरामठ
8-		ए/228	रामचन्द्र यादव पेo बटाई यादव	ग्राम महथौड़ गोठ, अंधरामठ
9-		ए/236	सीताराम यादव पेo बिहारी यादव	ग्राम महथौड़ गोठ, अंधरामठ
10-	त्रैमासिक	ए/215	फुलइया दुसाध पेo महदेव दुसाध	ग्राम महथौड़, थाना अंधरामठ
11-		ए/159	बंसी नन्दन यादव पेo कान्ति लाल यादव	ग्राम बिक्रमसेर, अंधरामठ
12-		ए/182	फन्दु यादव पेo भद्र यादव	ग्राम बगेवा, थाना अंधरामठ
13-	अर्द्धवार्षिक	ए/160	भुटवा हजाम पेo दुखा हजाम	ग्राम नरही, थाना अंधरामठ
14-		ए/211	राम अधीन पासवान पेo सुन्दर पासवान	ग्राम अरनामा, थाना अंधरामठ
15-	वार्षिक	सी/39	जय पासवान पेo रघुनन्दन पासवान	ग्राम महथौड़, थाना अंधरामठ
16-		ए/157	सत्यदेव पासवान पेo रघुनन्दन पासवान	ग्राम महथौड़, थाना अंधरामठ
17-		ए/188	नसीब बेलदार पेo एकवाल बेलदार	ग्राम नरही, थाना अंधरामठ
18-		ए/191	बच्चा यादव पेo नसीब लाल यादव	ग्राम छातापुर, थाना अंधरामठ

24- तख्ती नं0- 13 :-

इस तख्ती में अगल-बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती का अवलोकन किया इसमें कुल 15 अपराधकर्मियों का नाम दर्ज है जिसमें 14 सुपौल जिला के कुनौली एवं निर्मली थाना के रहनेवाले हैं एवं । लौकही थाना के वासी हैं । यह सूची काफी पुरानी है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर इसे अद्यतनकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...13/-

25- तख्ती नं0- 14 :-

इस तख्ती में उच्चाधिकारियों को भेजी जानेवाली विवरणी लिखी जाती है । तख्ती अद्यतन है ।

26- तख्ती नं0- 15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है किन्तु इस थाना में तख्ती में मानचित्र नहीं रखकर दीवार में टाँगा गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि मानचित्र को अद्यतनकर एक प्रति तख्ती में भी रखते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0- 16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना जिसके अनुसार थाना का सृजन हुआ है, की प्रति, थाना नं0, क्षेत्रफल, जनसंख्या, गाँवों की सूची आदि रखी जाती है परन्तु अधिसूचना की प्रति नहीं रखी गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

उपर्युक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तख्ती में सारी सूचनाओं का संधारण नहीं किया गया है बल्कि मात्र खानापुरी की गई है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर सभी सूचनाओं को अद्यतन करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

28- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 75 बी0 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है परन्तु इस थाना में इसे संधारित नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक पक्ष के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट -I :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें 64 कॉलम है । अब नया प्रपत्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है

लगातार...14/-

जिसमें 68 कॉलम हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि संशोधित प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । वर्तमान में संधारित पंजी की स्थिति जर्जर है एवं इस पंजी को आरक्षी निरीक्षक द्वारा दिनांक 26-9-1999 के बाद नहीं लिखा गया है,जो अत्यन्त ही खेदजनक है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी को एक सप्ताह के अन्दर बाईन्डिंग कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी में अद्यतन प्रविष्टिकर एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें एवं भविष्य में नियमित रूप से इस पंजी को लिखना सुनिश्चित करेंगे । आरक्षी अधीक्षक,मधुबनी से अनुरोध है कि इस संबंध में संबंधित आरक्षी निरीक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना चाहेंगे ।

30- खतियान रजिस्टर पार्ट-।। :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट,अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि लिखा जाता है । पंजी अद्यतन है किन्तु जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । इसे शीघ्र बाइन्डिंग कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

31- सी0 डी0 पार्ट- । :-

इसमें दागी व्यक्तियों(डोसियर्स) की सूची रखी जाती है । इस पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 18 दागी व्यक्ति हैं ।

32- सी0 डी0 पार्ट- ।। :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी अपराधी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होता है तो उसे इस पंजी में दर्ज किया जाता है । इस पंजी में दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काली स्याही से अंकित किया जाता है । इस पंजी को सही ढंग से संधारित किया जा रहा है ।

33- सी0 डी0 पार्ट- ।।। :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अतिमहत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक,कृषि,साम्प्रदायिक,भू-विवाद,राजनैतिक मामलों

लगातार...15/-

पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ थाना प्रभारी द्वारा अपनी लिखावट में दर्ज की जाती हैं परन्तु इसे दिनांक 8-10-2002 के बाद नहीं लिखा गया है,जो खेदजनक है । थाना प्रभारी इसे अद्यतन करें एवं भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि इसे नियमित रूप से लिखा जा रहा है ।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0 पार्ट-।। से जानकारी ली जाती है । वस्तुतः अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है,जो किसी मामले में संलिप्त रहते हैं । यह पंजी सी0डी0पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई जाती है । यदि इस पंजी में अंकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । यह पंजी विहित प्रपत्र में नहीं है । थाना प्रभारी एक माह के अन्दर विहित प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

35- एम0 ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 76 ए॰ में एम0ओ0 रजिस्टर संधारित है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली यथा लूट-पाट किया गया अथवा नहीं,लाठी डंडा से मारपीट किया गया अथवा नहीं जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि को दर्ज किया जाता है ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है

वर्ष	साँप काटने से	गिरने से	जलने से	फाँसी लगाने से	जहर खाने से	पानी में डुबने से	बज्रपात से	मिर्गी या अन्य बि0	बिजली करंट से	कुल
1998	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2002	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
2003	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2

लगातार...16/-

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक	धारा	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम	लंबित का कारण
1-	114/01	16-09-01	341, 323, 324, 504, 379	अ0नि0ज्ञानेन्द्र सिंह	गिरफ्तारी हेतु
2-	50/02	04-05-02	323, 341, 324, 307, 504, 34	अ0नि0ज्ञानेन्द्र सिंह	गिरफ्तारी हेतु
3-	26/03	14-04-03	341, 323, 504, 379, 34	अ0नि0सी0डी0सिंह	गिरफ्तारी हेतु
4-	27/03	14-04-03	341, 323, 324, 307, 427, 504, 379	अ0नि0ज्ञानेन्द्र सिंह	एफ नोट हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि यू0डी0कांड सं0 114/01 एवं 50/02 काफी दिनों से लंबित चला आ रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चितकर कांड के निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत वर्ष 1998 से 2002 तक कुल 5 कांड प्रतिवेदित हुए हैं जिनमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है । वर्ष 2001, 2000 एवं 2003 में एक भी मामला प्रतिवेदित नहीं हुआ है । इस हेतु अलग से पंजी संधारित नहीं की गई है । प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में आकर शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, मदद नहीं दी जाती है । विदित हो कि यह क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है जहाँ मुसहर जाति के साथ-साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या काफी है । भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव होने की घटना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अत्याचार की घटना के संबंध में अक्सर विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से सूचनाएँ मिलती रहती हैं । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार की शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त होने पर त्वरित गति से निष्पक्ष/संवेदनशील होकर कार्रवाई करें । यदि एक-दो मामलों में कार्रवाई होती है तो इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल जायेगी एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा । इस अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराना अनिवार्य है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने

लगातार.... 17/-

की आवश्यकता है ।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म सं0 67 में यह पंजी संधारित करना है किन्तु इस थाना में यह पंजी संधारित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर विहित प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना मालखाना में एक भी आग्नेयास्त्र जमा नहीं है ।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म सं0 6 ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । पुलिस हस्तक के नियम 59(क) में स्पष्ट किया गया है कि "प्रपत्र संख्या 6ए. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे" किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन किसी भी आरक्षी निरीक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा है । आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

40- चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है जिसमें सभी चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ठ आवंटित है एवं उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जाती है तथा अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल ईंक से इटालियन अंक में लिखा जा रहा है ।

चौकीदार/दफादार के स्वीकृत बल एवं रिक्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित	रिक्ति
1-	दफादार	3	2	1
2-	चौकीदार	36	34	2

लगातार...18/-

निर्देश दिये जाने के बावजूद पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पदस्थापित दफादार/चौकीदारों एक सूची (पूर्ण बायोडाटा के साथ) एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें एवं रिक्त स्थानों पर नियुक्ति हेतु समुचित प्रस्ताव उचित माध्यम से शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें ।

41- चौकीदारी डिसपोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं सभी 8 कॉलम भरे गये हैं ।

42- मालखाना पंजी :-

पंजी संधारित है । इस पंजी को अ0नि0, सी0डी0सिंह द्वारा लिखा जाता है, जो दिनांक 1-6-2003 को सेवानिवृत हो चुके हैं परन्तु अभीतक प्रभार नहीं सौंपे हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर मालखाना का प्रभार प्राप्तकर उसमें जब्त प्रदर्श की एक सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें एवं जो केस निष्पादन हो गये हैं, उसके प्रदर्श के निष्पादन की कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास इसे सुनिश्चित करायेंगे ।

43- मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

मालखाना बन्द रहने के कारण इस पंजी का अवलोन नहीं किया जा सका ।

44- अनुक्रमणी पंजी :-

थाना में कितने तरह की पंजी संधारित है, उसके संबंध में कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना संधारित किये गये सभी पंजियों/संचिकाओं के संबंध में एक अनुक्रमणी पंजी संधारित कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

45- गुण्डा पंजी :-

गुण्डा पंजी संधारित है । प्रतिवेदन शून्य है ।

लगातार...19/-

46- अपराध आँकड़ा :-

विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा
1998	3 §3§	1§1§	2§2§	1	5§1§	8§6§
1999	1 §1§	2§1§	2§1§	2	6§1§	7§7§
2000	1 §1§	3§2§	3	7§1§	13	2§1§
2001	1	-	1	-	1	14§4§
2002	4 §1§	1	2	2§1§	2	17§4§
2003	-	-	-	-	-	3§1§

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2002 में सभी क्षेत्रों में अपराध की आँकड़ा में वृद्धि हुई है । अतः थाना प्रभारी को इस संबंध में काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

47- पत्राचार :-

पत्राचार हेतु प्राप्त एवं निर्गत पंजी संधारित की गई है । इस पंजी के अनुसार इस वर्ष अबतक कुल 44 पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 30 का निष्पादन किया गया है एवं 14 पत्र लंबित हैं । पत्राचार की स्थिति ठीक नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पत्राचार को सही ढंग संधारित करना सुनिश्चित करें एवं लंबित पत्रों को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

48- प्राथमिकी पंजी :-

चूँकि यह थाना लौकही थाना का सहायक थाना है, अतः प्राथमिकी की मूल प्रति लौकही थाना में रखी

लगातार... 20/-

जाती है एवं डूपलीकेट प्रति अंधरामठ थाना में रखी जाती है । इस वर्ष अबतक कुल 12 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं । प्राथमिकी पंजी के बुक नं0 3600 का अवलोकन किया । यह पाँच प्रतियों में है । जिला मुख्यालय में प्रत्येक वृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, उनकी शिकायतें गंभीरता से नहीं सुनी जाती है । यह चिन्ता का विषय है । जब आम आदमी थाना प्रभारी के पास न्याय के लिए आता है, अगर उनकी शिकायतें नहीं दर्ज की जाती हैं, तो उनका विश्वास प्रशासन एवं पुलिस से उठ जाता है एवं वे हताश हो जाते हैं और तब उन्हें उच्चाधिकारियों अथवा न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है । जब कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दियाजाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है और वे थाना की शरण में आता है तो उनकी समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से गंभीरता से सुनें तथा निष्पक्षता एवं पूरी पारदर्शिता के साथ दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें ।

49- कन्सटेबल नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 89(ड.) के तहत कॉन्सटेबल नोटबुक संधारित किया जाना है परन्तु इस थाना में इसे संधारित नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक पक्ष के अन्दर कन्सटेबल नोट बुक संधारित कराते हुए सभी आरक्षियों से उनके द्वारा कौन-कौन से कर्त्तव्य का पालन किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गये, आदि का संधारण सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

50- लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

अंधरामठ थाना में लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या/दिनांक	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	108/2000, 15-7-2000	341/342/323/34 भा0द0वि0/27 आर्म्स	स0अ0नि0 एल0 पाण्डे	आदेश हेतु
2-	79/2002 17-7-2002	307/302 भा0द0वि0/27 आर्म्स एक्ट	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
3-	90/2002, 07-8-2002	302/201 भा0द0वि0/27 आर्म्स एक्ट	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
4-	106/2002, 09-10-2002	468/506/ भा0द0वि0	स0अ0नि0 एल0 पाण्डे	आदेश हेतु

लगातार...21/-

5-	120/2002, 3-10-2002	394 भा0द0वि0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	अनुसंधान हेतु
6-	60/2001, 27-6-2001	147/148/149/323/325/307/302 भा0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
7-	136/2002, 11-12-2002	147/148/149/342/324/307/302/27	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
8-	138/2002, 12-12-2002	25{1}/26 आर्म्स एक्ट	अ0नि0 सी0डी0सिंह	गिरफ्तारी हेतु
9-	139/2002, 16-12-2002	323/341/342/384/353/504/379/34	स0अ0नि0 एल0 पाण्डे	एस0 नोट हेतु
10-	142/2002, 20-12-2002	498/323/379/ भा0द0वि0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
11-	143/2002, 22-12-2002	406/409 भा0द0वि0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
12-	144/2002, 22-12-2002	406/409 भा0द0वि0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
13-	146/2002, 22-12-2002	406/409 भा0द0वि0	अ0नि0 सी0डी0सिंह	गिरफ्तारी हेतु
14-	20/2003, 23-03-2003	3/4/498{ए}/364/34 भा0द0वि0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	एस0नोट हेतु
15-	22/2003, 07-04-2003	409 भा0द0वि0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	आदेश हेतु
16-	23/2003, 13-04-2003	147/148/323/307/504/447/27 आर्म्स0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	एस0 नोट हेतु
17-	24/2003, 13-04-2003	147/148/323/325/504//27 आर्म्स ए0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	एस0 नोट हेतु

51- लंबित अविशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

1-	114/2001, 16-09-2001	341/323/324/504/379 भा0द0वि0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
2-	50/2002, 04-05-2002	323/341/324/307/504//34 भा0द0वि0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
3-	26/2003, 14-04-2003	341/323/504/379/34 भा0द0वि0	अ0नि0 सी0डी0सिंह	गिरफ्तारी हेतु
4-	27/2003, 14-04-2003	341/323/324/307/427/504/379 भा0	अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह	एस0 नोट हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विशेष प्रतिवेदित 17 कांड लंबित हैं जबकि अविशेष प्रतिवेदित 4 कांड लंबित हैं । इनमें से 09 कांड अ0नि0 ज्ञानेश्वर सिंह के पास गिरफ्तारी हेतु लंबित हैं । 3 कांड सी0 डी0 सिंह{अ0नि के पास लंबित है, जबकि वे दिनांक 1-6-2003 को सेवानिवृत भी हो चुके हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अ0नि0 सी0डी0सिंह से लंबित कांडों का प्रभार लेकर अविलम्ब सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

लगातार... 22/-

52- चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन :-

चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए अलग से पंजी संधारित नहीं की गई है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि पासपोर्ट से संबंधित 09 एवं ठीकेदारी हेतु 01 आवेदन कुल 10 लंबित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि चरित्र सत्यापन हेतु विषयवार अलग-अलग पंजी संधारित करें एवं सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । चरित्र सत्यापन से संबंधित अधिकांश मामले सरकारी नौकरी में योगदान से संबंधित होते हैं । अतः यदि समय पर उसे सत्यापित कर नहीं भेजा जाता है तो संबंधित व्यक्ति को नौकरी से वंचित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि चरित्र सत्यापन से संबंधित आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सत्यापित कर संबंधित विभाग को भेज दें ।

53- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए0पी0पी0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित मामलों का अनुसंधान कार्य को त्वरित गति से निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

(ख) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में प्रायः यह शिकायत मिलती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतएव थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दें । गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन थाना को भेजे जाते हैं, उसका तामिला निश्चित तौर पर समय-सीमा के अन्दर कराना सुनिश्चित करें ।

(ग) नीलाम-पत्र वादों में प्राप्त डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें । अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास के पत्रांक 296/रा0, दिनांक 30-3-2003 द्वारा कुल 20 बी0डब्लू/डी0डब्लू0 तामिला हेतु भेजे गये है परन्तु अभीतक उनका तामिला नहीं कराया गया है । साथ ही नीलाम-पत्र वादों से संबंधित प्रपत्र जनवरी, 2003 में ही थाना प्रभारी को प्राप्त हो चुके हैं परन्तु अभीतक उसका अनुपालन नहीं किया गया है । यह थाना प्रभारी के अपने

लगातार...23/-

कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अविलम्ब सभी प्राप्त वारन्टों का तामिला कराकर/भेजे गये प्रपत्र से संबंधित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें । इन वारन्टों को अभीतक लंबित रखने के संबंध में भी थाना प्रभारी अपना स्पष्टीकरण अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें ।

54- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर अंधरामठ थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद नहीं है । थाना प्रभारी द्वारा हाल ही में योगदान दिया गया है, अतः उन्हें कड़ी मिहनत करने की आवश्यकता है । विशेषकर उन पंजियों पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर निरीक्षण के दौरान अद्यतन करने/विहित प्रपत्र में पंजी खोलने की बिन्दू पर निर्देश दिये गये हैं । ऐसा करने से न केवल पंजियाँ अद्यतन होंगी बल्कि इससे सक्रिय अपराधकर्मियों पर नियंत्रण रखने, विधि-व्यवस्था के संधारण में भी सहुलियत होगी । अभियुक्तों के विरूद्ध निर्गत वारंट के कार्यान्वयन, मालखाना में रखे अतिआवश्यक परिसम्पत्तियों के निष्पादन की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करने की आवश्यकता है । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कर दिया जाय । यदि दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कर दिया जाता है तो थाना के कार्य-कलाप में गुणात्मक सुधार आने की संभावना है अन्यथा वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जायगा । निरीक्षण के दौरान स०अ०नि० एल० पाण्डेय द्वारा अभिलेखों/कागजातों के उपस्थापन में काफी तत्परता दिखाई गई । नियमों/अधिनियमों की भी उन्हें जानकारी है । अतः आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि उन्हें उचित राशि से पुरस्कृत करना चाहेंगे ।

Rajendra
4.7.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 1497 /सामान्य मधुबनी, दिनांक 9 जुलाई, 2003 ई० ।

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : थाना प्रभारी अंधरामठ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 4.7.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।